संख्या-8/2023/299/39-4-2023-10(10)/2018टीसी-4

प्रेषक,

देवी शंकर शुक्ल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान,
लखनऊ।

सतर्कता अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 27 मार्च, 2023

विषय - सतर्कता अधिष्ठान के पुराने वाहन के प्रतिस्थापन स्वरूप नये वाहन क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पुलिस अधीक्षक (मु0), उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान के पत्र संख्या-स0अ0/अनु-4/एम-61/2016 दिनांक 04.03.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सतर्कता अधिष्ठान द्वारा पुराने निष्प्रयोज्य वाहन के प्रतिस्थापन स्वरूप 04 नये वाहनों (03 मारूति अर्टिगा कार smart hybrid vxi एवं 01 मारूति डिजायर VXI 1.2L) को क्रय किये जाने हेतु रू0-31,66,944.00/- (रूपये इकत्तीस लाख छियासठ हजार नौ सौ चौवालीस मात्र) की धनराशि श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निस्तारण पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) सतर्कता अधिष्ठान द्वारा सुसंगत नियमों एवं शासनादेशों के अनुसार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा सामग्री एवं वस्तुओं/सेवाओं के क्रय हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक 23.08.2017 के अनुसार गर्वमेन्ट ई-मार्केटप्लस (जेम) के माध्यम से किया जायेगा।

(2) सतर्कता अधिष्ठान द्वारा धनराशि आहरित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उक्त कार्य हेतु पूर्व में धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है। स्वीकृत धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा, जब वाहनों की निर्धारित क्रय प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी हो। वाहन क्रय किये जाने से पूर्व निष्प्रयोज्य घोषित वाहनों की नीलामी की धनराशि राजकोष में जमा कर दी जायेगी।

(3) सतर्कता अधिष्ठान कार्यात्मक आवश्यकता के दृष्टिगत प्रस्तावित वाहनों के मेक/माडल/ स्पेसिफिकेशन एवं संख्या के संबंध में विभागीय व्यवस्थाओं के अन्तर्गत संतुष्ट हो लेंगे।

(4) सतर्कता अधिष्ठान द्वारा क्रय किये जाने वाले वाहनों की गुणवत्ता एवं उपयोगिता के संबंध में क्रेता इकाई / सतर्कता अधिष्ठान पूर्णत: संतुष्ट हो लेंगे। क्रय किये जा रहे वाहनों की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(5) वाहनों के क्रय हेतु स्वीकृत धनराशि की सीमा के अन्तर्गत ही किया जायेगा, यदि कोई धनराशि बचती है, तो अवशेष धनराशि के सापेक्ष कोई अन्य वाहनों का क्रय न किया जाय।

(6) सतर्कता अधिष्ठान द्वारा प्रश्नगत वाहनों के क्रय के संबंध में उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल/ सुसंगत वित्तीय नियमों/शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(7) उक्त धनराशि का व्यय स्वीकृत प्रयोजन हेतु स्वीकृत संख्या के अन्तर्गत ही किया जायेगा। किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा।

(8) स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में दिनांक 31.03.2023 तक करना सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रू0-31,66,944.00/- (रूपये इकत्तीस लाख छियासठ हजार नौ सौ चौवालीस मात्र) को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या-82 के लेखाशीर्षक-4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-04-सतर्कता निदेशालय-14-मोटर गाडियों का क्रय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12 के अशासकीय सं0-E-12-823-X-2022-23 दिनांक 22 मार्च 2023 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

देवी शंकर शुक्ल
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/महालेखाकार (आडिट) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।

(2) कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(3) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग- 12

(4) वित्त (आय-व्यनयक) अनुभाग-1/2

(5) नोडल अधिकारी को शासनादेश अपलोड कराने हेतु।

(6) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

देवी शंकर शुक्ल
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।